

पत्रांक:- 650/प०नि०-01-04/2026/...../प०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
विशेष सचिव

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 6/8/2026

विषय:- पंचायत परिसीमन, 2026 कराने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों के CEB Layout Map 50/प्रति EB तथा ब्लॉकवाइज गणना एवं संबंधित कार्य के लिये आवंटन ₹3,00,00,000.00 (तीन करोड़ रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश : स्वीकृत।

2. विभागीय संकल्प संख्या 10744 दिनांक 20.07.2026 द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की धारा-11 की उप-धारा(1) के तहत ग्राम पंचायत क्षेत्र, धारा-12 की उप-धारा(2) के तहत ग्राम पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, धारा-37 के तहत पंचायत समिति प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र एवं धारा-64 के तहत जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन कराये जाने का निर्देश संसूचित है।

साथ ही विभागीय अधिसूचना संख्या-10745 दिनांक 20.07.2026, 10746 दिनांक 20.07.2026, 10747 दिनांक 20.07.2026 एवं 10748 दिनांक 20.07.2026 द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में राज्य निर्वाचन आयुक्त के सामान्य अथवा विशेष आदेश, निदेश एवं अनुदेश तथा निर्देशन एवं पर्वक्षण के अन्तर्गत जिला दंडाधिकारी क्रमशः ग्राम पंचायत क्षेत्र, ग्राम पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, पंचायत समिति प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र एवं जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र घोषित करेगा।

3. उक्त के आलोक में संयुक्त निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक-3187 दिनांक-04.08.2026 द्वारा पंचायत परिसीमन, 2026 कराने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों के CEB Layout Map 50/प्रति EB तथा ब्लॉकवाइज गणना एवं संबंधित कार्यों के लिये आवंटन ₹3,00,00,000.00 (तीन करोड़ रुपये) मात्र की राशि आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

4. अतएव वित्तीय वर्ष 2026-27 के पंचायत परिसीमन, 2026 कराने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों के CEB Layout Map 50/प्रति EB तथा ब्लॉकवाइज गणना एवं संबंधित कार्यों के लिये आवंटन ₹3,00,00,000.00 (तीन करोड़ रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना होंगे, जो राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

लगातार.....

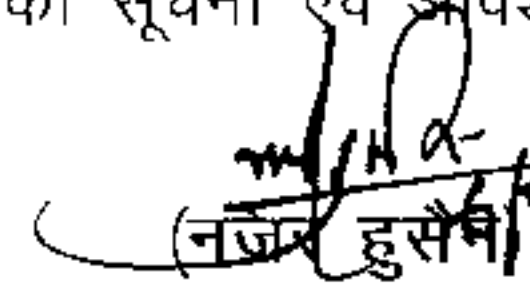
6. इस स्वीकृत राशि की निकासी राज्य स्कीम मद के "मुख्य शीर्ष -2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उप मुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-800-अन्य व्यय-उप शीर्ष-0114-ग्राम पंचायत के विभिन्न मदों हेतु" अन्तर्गत "विषय शीर्ष-0114.31.06-सहायक अनुदान गैर वेतन" मद से किया जायेगा। इसका मांग संख्या-16 एवं विपत्र कोड-16-2515008000114 है।
7. इस स्वीकृत राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता के प्रपत्र BTC- 42 पर की जायेगी साथ ही वित्त विभागीय संकल्प संख्या-9736 दिनांक 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC- 42(A) में स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार को उपलब्ध कराया जाना उप सचिव-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, पटना की होगी।
8. इस राशि की निकासी के लिए विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा जिसके आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।
9. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
10. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-6प०/प०नि०-01-04/2026 में पृष्ठ-03...../टि० पर दिनांक-06/8/2026 को प्राप्त है।
11. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन संचिका संख्या- 6प०/प०नि०-01-04/2026 में पृष्ठ-03...../टि० पर दिनांक-06/8/2026 को प्राप्त है।
12. स्वीकृत्यादेश के सभी पृष्ठ विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

विश्वासभाजन,


(नजर हुसैन) 8/26

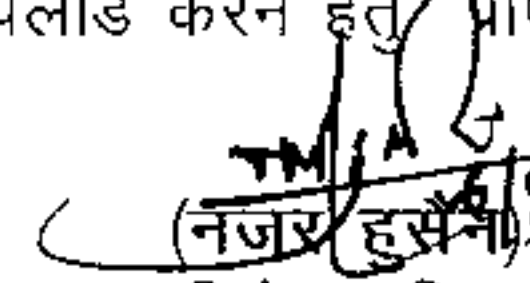
विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 6प०/प०नि०-01-04/2026/...../प०रा० पटना, दिनांक 6/8/26
प्रतिलिपि- उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-05, (बजट)/प्रभारी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-07 (UC कोषांग), पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नजर हुसैन) 8/26

विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 6प०/प०नि०-01-04/2026/...../प०रा० पटना, दिनांक 6/8/26
प्रतिलिपि- आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को स्वीकृत्यादेश की प्रति सभी संबंधितों को ई-मेल से भेजने तथा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(नजर हुसैन) 8/26

विशेष सचिव